तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **भागचन्द बनाम मूलचन्द** **अपील संख्याः—80 / 2023(जीसीएमएस नम्बर 2023 / 494)**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.06.24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित। उन्होने प्रार्थना पत्र वास्ते विड्रा करने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अपीलार्थी अपनी अपील को आगे नही चलाना चाहते है तथा विड्रा करना चाहते है। अतः अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील विड्रा कर निस्तारण करने की कृपा करें। हमने अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे विदित होता है कि अपीलार्थी की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष दिनांक 07.05.2024 को प्रस्तुत किये जाने पर न्यायालय हाजा के पत्रांक 355 दिनांक 08.05.2024 के संलग्न अपील मीमों एवं उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई के अपीलाधीन निर्णय की प्रति तहसीलदार बसवा को प्रेषित कर अपील विड्रो किये जाने के सम्बन्ध उनकी सहमति / असहमती चाही गई थी जिसकी पालना में तहसीलदार बसवा द्वारा अपने पत्र दिनांक 17.05.2024 द्वारा न्यायालय हाजा के पत्रादित प्रकरण बांदीकुई तहसील से सम्बन्धित होने के कारण तहसीलदार बांदीकुई को भिजवाये गये है तथा तहसीलदार बांदीकुई ने अपने पत्रांक 2682 दिनांक 30.05.2024 से अवगत कराया है कि प्रकरण में वर्णित सिवायचक खसरा नम्बरान पर खातेदार को नियमानुसार खातेदारी अधिकार दिये गये है। अतः वर्तमान में दोनों पक्षों की सहमति से अपील विड्रो की जाती है तो किसी प्रकार की कोई आपत्ति नही है तथा अपीलार्थीगण स्वयं भी अपनी अपील को अब आगे नही चलाना चाहते है और विड्रो करना चाह रहे है तो ऐसी स्थिति में अब इस हस्तगत अपील को आगे चलाये रखे जाने का कोई औचित्य प्रतीत नही होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत अपील विड्रो किये जाने स्वीकार किया जाता है तथा अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील को विड्रो कर लिये जाने के कारण अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील पत्रावली जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। (डॉ0प्रवीण कुमार) अति.संभागीय आयुक्त जयपुर।	